AMOGHVARTA

ISSN : 2583-3189

महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण और नेतृत्व का अर्न्तःसम्बंध

ORIGINAL ARTICLE

Author
डॉ. नीता बाजपेयी
सहायक प्राध्यापक समाजशास्त्र
राज्य एनएसएस आधिकारी, छ.ग. शासन
रायपुर, छत्तीसगढ़, भारत

शोध सार

हाल के दशकों में महिलाओं का राजनीतिक सत्ता से संपर्क और नीतियों पर उनका प्रभाव बहुत बढ़ गया है। हालाँकि, महिलाएँ राजनीतिक वैधता के अपने प्रभाव और अभ्यास में पुरुषों के अनुपात में कहीं नहीं हैं, हालाँकि महिलाओं की भूमिका पर राजनीतिक सशक्तिकरण अनुसंधान जारी है। 1992 का भारत सरकार का राष्ट्रीय कार्यक्रम 'पंचायती राज संस्थाएँ' अधिनियम राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने के लिए एक उत्कृष्ट नीति तंत्र था। यह अधिनियम स्थानीय स्वशासन में महिलाओं के लिए 50ः आरक्षण सीटें प्रदान करता है, और इस प्रकार महिलाएँ राजनीतिक क्षेत्र में सत्ता प्राप्त करने में सक्षम थीं। इस नीति के माध्यम से, महिलाओं के लिए राजनीतिक क्षेत्रों में चुने जाने की अधिक संभावना है और इस प्रकार वे अपने संबंधित प्रशासनिक इलाके में कल्याण तंत्र में पहले की तुलना में अधिक भूमिका निभा सकती हैं। इस संदर्भ में, इस लेख का उद्देश्य पंचायत में महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण पर पंचायती राज संस्था नीति के महत्व का पता लगाना है। नीति के प्रभाव का पता लगाने के लिए, इस लेख ने छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में जिले में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों से प्राथमिक डेटा एकत्र करके एक अनुभवजन्य अध्ययन किया। परिणामों से महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण और आदिवासी समाज में उनकी स्थिति में वृद्धि के महत्व का आकलन किया जा सकता है।

मुख्य शब्द

राजनीतिक वैधता, राजनीतिक भागीदारी, स्थानीय स्वशासन, आरक्षण सीटें, अनुभवजन्य अध्ययन.

परिचय

जहाँ कही भी जीवन है, वही समाज भी है और जहाँ समाज है वहाँ नेतृत्व भी होता है । जहाँ तक समाज में महिला नेतृत्व का प्रश्न है, यह सच है की पुरुषवादी समाज में महिलाओ को नेतृत्व का अवसर बहुत कम ही प्राप्त हुआ है, लेकिन जब भी नेतृत्व की बात आई तो उनका लोहा सारे समाज ने माना प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक अनेक महिला–नेत्रियों ने अपने नेतृत्व के गुणों से सबको बताया की अवसर मिलने पर वह किसी से कम नहीं बात चाहे रानी दुर्गावती की हो, देवी अहिल्या बाई, रानी लक्ष्मी बाई, इंदिरा गाँधी या अन्य के योगदान को नहीं भुलाया जा सकता।

पंचायत में स्थिति

महिलायें हमारे देश की आबादी का आधा हिस्सा है इसलिए ग्रामीण विकास में महिलाओ की भागीदारी के बिना हम वास्तविक अर्थ में विकास की कल्पना भी नहीं कर सकते। निश्चित रूप से विकास में महिलाओ की भूमिका पुरुषो से कम नहीं है। संविधान के 73 वे संशोधन के माध्यम से पंचायतीराज व्यवस्था को सशक्त करने का प्रयास किया जा रहा है, पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओ के 50 प्रतिशत आरक्षण से महिलाओ की पंचायती राज व्यवस्था एवं ग्रामीण विकास में सक्रिय सहभागिता में वृद्धि हुई है, महिलाओ के नेतृत्व एवं योगदान से कई ग्राम पंचायत ने विकास के क्षेत्र में नए आयाम बनाये जो की अपने आप में एक उदाहरण है। संविधान में किया गया 73वां और 74 वां संशोधन ग्रामीण महिलाओ के लिए महत्वपूर्ण मोड़ था, क्योकि इन संशोधनों ने पहली बार स्थानीय स्वशासन में 33 प्रतिशत महिलाओ को चूल्हे से निकाल कर चौपाल में पहुंचाने का काम किया, यह एक क्रांतिकारी कदम था, जिसने भारत के दूरदराज गांवो की महिलाओ को निर्णय प्रक्रिया में भाग लेने का सुअवसर प्रदान किया, ग्रामीण स्तर की महिलाओ के स्थानीय शासन का एक बड़ा लाभ यह भी हुआ कि इसने देश भर में विधानसभा और संसद में भी महिलाओ के आरक्षण की बहस शुरू कर दी, वर्ष 1995 में इस संशोधन के लागू होने से हर 5 वर्ष में करीब 25 हजार गांवो में दस लाख महिलाएं स्थानीय सत्ता में काबिज हो रही है। लेकिन पंचायत या स्थानीय निकायों में चुनी जाने वाली महिलाओ के समक्ष अपना सामर्थ्य और क्षमता साबित करने के लिए चुनौतियां कड़ी है।

समाज में महिला नेतृत्व की स्थिति

पहले कार्यकाल के लिए चुनी गई महिला प्रतिनिधियों के समक्ष सब से बड़ी चुनौती पुरुषसत्तात्मक सोच थी। जिसके तहत पुरुष सत्ता पर अपना एकाधिकार मानते है। राजनीति में महिलाओ की यह भागीदारी वह भी अंतिम पायदान पर उन्हें गंवारा नहीं थी क्योकि इससे उन्हें अपनी सत्ता में सुराख होता नजर आया। इसलिए पंचायतो की महिला प्रतिनिधियों को कार्यकाल के आरंभिक वर्षो में रबर स्टैम्प और उनके पतियो को प्रधान पतियो की संज्ञा दी गई। उन्हें पढ़ी लिखी नहीं या पंचायत के कामकाज को समझने में असक्षम बताकर पंचायत का सारा कामकाज पंचायत कर्मी या उनके पति अथवा गांव के किसी प्रभावशाली व्यक्ति के हाथो केंद्रित रहता आया है। शुरुवाती दौर में यह आरोप भी अधिक सुनने में आया कि घूँघट या परदे के भीतर रहने वाली महिलायें पंचायत के कार्यो को कैसे निपटायेंगी? सही भी था, जिस समाज में वे घरेलू दायित्व में फैसला लेने की हकदार नहीं बन पाई वहाँ वह पंचायत के बड़े दायित्व को निभाने में हिचक कैसे महसूस नहीं करती।

भारत की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी कम होने के पीछे अब तक समाज में पितृसत्तात्मक ढांचे का मौजूद होना है, यह न सिर्फ महिलाओं को राजनीति में आने से हतोत्साहित करता है, बल्कि राजनीति के प्रवेश द्वार की बाधाओं की तरह काम करता है लेकिन राजनीतिक दलों के भेदभाव पूर्ण रवैय्ये के बावजूद मतदाता के रूप में महिलाओ की भागीदारी नब्बे के दशक के अंत से उल्लेखनीय रूप से बढ़ी है। ऐसे में यह अनिवार्य हो जाता है कि चुनावो के विभिन्न स्तर पर महिलाओ की भागीदारी का विश्लेषण किया जाय ताकि यह पता लगाया जा सके की आजादी के सातवे दशक बाद भी इसमें गैरबराबरी क्यों है। महिलाओ की चुनावी प्रक्रिया में भागीदारी में 1952 की लोकसभा में 22 एवं 2014 की लोकसभा में 61 महिला प्रतिनिधि है, 65 साल में मात्र यह वृद्धि 36 है। लेकिन लैंगिक भेदभाव अब भी मौजूद है। संसद में 10 में से 9 पुरुष संसद है। चुनाव में महिलाओ को टिकट न देने की नीति न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि क्षेत्रीय पार्टी भी में है, और इसकी वजह बताई जाती है उनमें जीतने की क्षमता कम होती है जो चुनाव में महत्वपूर्ण होता है भारतीय महिला वोटर – हालांकि भारत के आम चुनाव में महिला उम्मीदवारों की सफलता पिछले तीन चुनाव में बेहतर रही है। यह आंकड़ा राजनीतिक दलों के जिताऊ उम्मीदवार के आधार पर ज्यादा टिकट देने के तर्क को खारिज कर देता है और साथ ही महिला उम्मीदवार न मिलने की बात को निराधार ठहराता है। लोकसभा और फैसले लेने वाली जगहों जैसे कि मंत्रिमंडल में महिलाओ का कम प्रतिनिधित्व सीधे सीधे राजनीतिक ढांचे से, उनको सुनियोजित ढंग से बाहर रखने और मूलभूत लैंगिक भेदभाव को रेखांकित करता है। हालांकि महिलाये राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर ठीक–ठाक संख्या में राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करती है लेकिन इन राजनीतिक दलों में भी उच्च पदों पर महिलाओ की उपस्थिति कम ही है। जो महिलाये पार्टी

के अंदरूनी ढांचे में उपस्थिति दर्ज करवाने में कामयाब रही है उन्हें भी नेतृत्व के दूसरे दर्जे पर धकेल दिया गया है वह राजनीतिक दलों में नीति निर्णायक स्तर पर बमुश्किल ही कोई महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और अक्सर उन्हें महिला मुद्दे का काम दे दिया जाता है, जिससे चुनावो में पार्टी को फायदा मिल सके। भारतीय महिला वोटर– पार्टियों को महिला मतदाताओं की याद सिर्फ चुनाव के दौरान ही आती है और उनके घोषणापत्र में किये गए वादे शायद ही कभी पुरे होते है। महिलाओ के मुद्दों के प्रति राजनीतिक दलों की गंभीरता महिला आरक्षण बिल को पास करने में असफलता से ही साफ हो जाती है।

सतही स्तर पर पंचायतो में महिलाओ को आरक्षण देकर जहाँ उनकी भागीदारी को एक हद तक बढ़ावा मिला है, वही राष्ट्रीय स्तर पर अभी बहुत कुछ करना शेष है। महिला आरक्षण विधेयक पारित होने के बाद जो महिलाये संसद और विधान सभाओ में चुन कर आएँगी, उनका पंचायत में महिलाओ को और अधिक सशक्त होने का अवसर मिलेगा। महिलाओ तक नेटवर्क होगा जिसके कारण पंचायत में महिलाओं को और अधिक सशक्त होने का अवसर मिलेगा। महिलाओ के स्वतंत्र रूप से अपने अधिकारो का उपयोग करने तथा सामाजिक – राजनीतिक क्षेत्र में अपनी निजी भूमिका निभाने में अनेक बाधा है। लेकिन जिस समाज में महिलाओ का घर से बाहर निकलना तक अच्छा न समझा जाता रहा हो, उस ग्रामीण परिवेश में निश्चित ही एक नई चेतना का संचार हुआ है। आरक्षण की इस व्यवस्था से महिलाओं की विभिन्न समस्याओ के निराकरण हेतु एक मौन–क्रांति के युग का प्रारम्भ हो गया है, जिससे आने वाले वर्षो में 50 प्रतिशत आरक्षण के बाद और अधिक सकारात्मक परिणाम निश्चय ही सामने आएंगे।

आज भले ही पंचायतो में महिलाओं की स्थिति को लेकर प्रश्न उठाया जा रहा है, परन्तु यह धारणा बिलकुल गलत है कि महिलायें कोई जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं है या उनमे निर्णय लेने की क्षमता नहीं है। वास्तविकता यह है कि अब तक महिलाओ को उनके अधिकारों से वंचित रखा गया था और सामाजिक–राजनितिक क्षेत्र में बढ़ने के मार्ग में अड़चने पैदा करने का ही प्रयास किया गया। ऐसा प्रत्यक्ष प्रमाण है की जब जब महिलाओ को अवसर मिला उन्हों ने अपनी योग्यता को प्रमाणित किया फिर वह क्षेत्र चाहे सामाजिक हो या राजनितिक।

प्रस्तुत अध्ययन में उत्तरदाताओं की सामाजिक राजनीतिक सशक्तिकरण का मुख्य आधार क्या है जाना गया, एवं राजनीतिक जीवन में आकर क्या उनकी सामाजिक स्थिति में भी परिवर्तन हुआ या कि नहीं । क्या समाज में उन्हें सम्मान जनक स्थान मिला ? इसकी विवेचना इस अध्याय में की गई है।

प्रजातंत्रात्मक राजनीति ने जाति संस्था को नष्ट करने के स्थान पर अधिक मजबूत बना दिया। आज भी राजनीति के खेल जातीय आधार पर खेले जाते है, इसके पारम्परिक रूप में परिवर्तन आया है पर आज भी ग्रामीण भारत में यह संस्था बहुत मजबूत है, और इसका सारा प्रभाव चुनावों में स्पष्ट दिखाई देता है। प्रस्तुत अध्ययन में तालिका से स्पष्ट होता है कि स्थानीय चुनावो में समजाति मुख्य भूमिका निभाती है, 79.6 प्रतिशत उत्तरदाताओं का कहना है की उनके निर्वाचन क्षेत्र में उनकी समजातिके मतदाताओं की संख्या ज्यादा है, जबकि 20.4 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा की उनके निर्वाचन क्षेत्र में समजाति वाली बात लागू नहीं होती।

निष्कर्ष

भारत में, दशकों से, केंद्र सरकार ने समाज की सतत प्रगति के लिए नीतियों को लागू किया है। फिर भी, महिलाओं को अक्सर महत्वपूर्ण राजनीतिक सशक्तीकरण से वंचित रखा जाता है। 1992 में पंचायत राज के कार्यान्वयन ने राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर महिलाओं के राजनीतिक सशक्तीकरण की शुरुआत की। इस रणनीति की गतिशीलता ने महिलाओं के लिए क्षेत्रीय निर्णयकर्ता बनने के लिए और अधिक अवसर पैदा किए हैं और इस प्रकार समाज के सभी क्षेत्रों में अधिक समानता प्राप्त की है। चूंकि उदार नारीवाद व्यक्तियों को सशक्त बनाकर समानता के विचार को बढ़ावा देता है, इसलिए पीआरआई नीति महिलाओं के राजनीतिक सशक्तीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। विश्लेषण से पता चलता है कि महिलाएँ प्रतिनिधि के रूप में राजनीतिक प्रक्रिया में समान रूप से भाग ले सकती हैं और निर्णय ले सकती हैं और उन्हें लिंग के आधार पर अलग–थलग नहीं किया जा सकता है। अनुभवजन्य अध्ययन इस बात पर प्रकाश डालता है कि नियुक्त महिलाएँ भ्रष्टाचार और भेदभाव के बावजूद अपनी

पंचायत में प्रगति और विकास को बदलने के लिए अपनी स्थिति और शक्ति को एक प्रभावी उपकरण के रूप में देखती हैं। वे बिना किसी बहिष्कार के राजनीतिक करियर को बनाए रखने में आने वाली कई चुनौतियों और बाधाओं की ओर भी इशारा करते हैं। बस्तर जिले में पंचायत राज के कार्यान्वयन से कई महिलाएं पहले से कहीं ज्यादा सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय नेता बन पाई हैं।

संदर्भ सूची

1. लेविस, ऑस्कर (19958) ग्रुप डायनामिक्स इन नार्थ इंडिया विलेजेसः ए स्टडी ऑफ फक्शन्सय प्रोग्राम इवेल्युएशन आर्गेनाइजेशन प्लानिंग कमीशन, नई दिल्ली।
2. सिंह, बैजनाथ (1959) द इम्पेक्ट ऑफ द कम्यूनिटी डेव्हलपमेंट प्रोग्राम ऑन रूरल लीडरशिपः पार्क एण्ड टिंकर (सं.) लीडरशिप एण्ड पॉलिटिकल इन्स्टीट्यूशन्स, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, मद्रास।
3. सिंह, अवतार (1963) *लीडरशिप पैटर्न एण्ड विलेज स्ट्रक्चर,* स्टर्लिंग, नई दिल्ली।
4. वैकटरंगैय्या, एम. एवं रामरेड्डी, जी. (1967) *पंचायत राज इन आंध्रप्रदेश,* स्टेट चौम्बर ऑफ पंचायत राज, हैदराबाद।
5. शाह, जी. (1975) पोलिटिक्स ऑफ शिड्यूल्ड कास्ट एण्ड ट्राइब्स वोरा एण्ड कं., बम्बई।
6. मुखर्जी, आर.एन. (1975) *भारतीय सामाजिक संस्थायें,* सरस्वती सदन दिल्ली।
7. भार्गव, बी.एस. (1979) *पंचायत राज सिस्टम एण्ड पॉलिटिकल पार्टीज,* आशीष पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली।

——==00==——